न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट, अजमेर

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 1/2025

श्री इमरान पुत्र नूर शाह उम्र 32 वर्ष महादेव की गली टोक जिला टोंक

................प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी थाना पुलिस थाना नसीराबाद सदर ....अप्रार्थी

उपस्थित :—

श्री मोहम्मद जावेद:— अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

आदेश

दिनांक— 10.03.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का टाटा अल्ट्रा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 26 जी.ए 5865 को पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा अन्तर्गत धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रर्वजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पूर्ण अनुसधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन पुलिस थाना नसीराबाद सदर को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना नसीराबाद सदर में खुले में पड़ा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 26 जी.ए 5865 सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस नसीबराबाद, सदर जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का टाटा अल्ट्रा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 26 जी.ए 5865 को पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा अन्तर्गत धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रर्वजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पर्ण अनुसधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन पुलिस थाना नसीराबाद सदर को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना नसीराबाद सदर में खुले में पड़ा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन रजिस्टेशन नम्बर आर.जे 26 जी.ए 5865 सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

जिला कलक्टर
अजमेर

थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 11.02.2025 में अवगत कराया कि थाना हाजा के प्रकरण संख्या 387/2024 अंतर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 गोवंश अधिनियम में जप्त शुदा ट्रक टाटा अल्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 26 जी.ए. 5865 के सम्बध में प्रार्थी के उक्त वाहन का मैकेनिक मुआयना करवाया जा चुका है। प्रार्थी उक्त वाहन का मुताबिक रजिस्ट्रेशन के पंजीकृत स्वामी श्री इमरान शाह है। प्रार्थी ने उक्त वाहन को जरीये इकरारनामा दिनांक 28.05.2024 को प्रकरण हाजा के आरोपी सागीर खान को बेचान नामा पर बेचान कर रखा है। उक्त वाहन मुताबिक रजिस्ट्रेशन के प्रार्थी का होना पाया गया है परन्तु मुताबिक इकरारनामा के प्रार्थी ने उक्त वाहन दिनांक 28.05.2024 को जरिये इकरारनामा प्रकरण हाजा के आरोपी सागीर खान को बेचान कर रखा है। उक्त वाहन को सुपुदर्गी नामा पर छोड़ दिया जावे तो अनुसंधान अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 387/2024 अंतर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 गोवंश अधिनियम 1995 में जप्तशुदा ट्रक टाटा अल्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 26 जी.ए. 5865 के सम्बध में प्रार्थी के उक्त वाहन का मैकेनिक मुआयना करवाया जा चुका है। प्रार्थी उक्त वाहन का मुताबिक रजिस्ट्रेशन के पंजीकृत स्वामी श्री इमरान शाह है। प्रार्थी ने उक्त वाहन को जरीये इकरारनामा दिनांक 28.05.2024 को प्रकरण संख्या 387/2024 के आरोपी सागीर खान को बेचान नामा पर बेचान कर रखा है। उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामा पर छोड़ दिया जावे तो अनुसंधान अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिंस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। जब्तशुदा गौवशं को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दुगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध प्रकरण संख्या 387/2024 धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गौवश पशु वध प्रतिषेध व आयात–निर्यात प्रयोजन 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6–क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौ वंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस वाहन की सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्त शुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन ट्रक टाटा अल्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 26 जी.ए. 5865 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्त वाहन ट्रक टाटा अल्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.

जिला कलक्टर
अजमेर

जे. 26 जी.ए. 5865 को रूपये 1,00,000/—अक्षरे एक लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला—अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर वाहन ट्रक टाटा अल्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 26 जी.ए. 5865 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.3.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर